

9 April The Hindu

Open up supreme court

- उच्चतम और उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के लिए न केवल अंतिम प्राधिकारी है बल्कि लोकतंत्र के उच्चतम आदर्शों की भी आधारशिला है।
- 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'सूचना के अधिकार अधिनियम' के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। कोर्ट ने माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसलिए यह RTI अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसलिए न्यायाधीशों की संपत्ति के बारे में जानकारी आरटीआई आवेदन के माध्यम से जनता अनुरोध कर सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाई और माना कि सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता व सूचना प्राप्ति हेतु अलग से नियम बनाए गए हैं, इसलिए इसे RTI के अंतर्गत लाने का कोई औचित्य नहीं है।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले मुद्दों में न्यायिक नियुक्तियां शामिल हैं। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप के बाद न्यायपालिका के स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था शुरू की गयी।
- **कॉलेजियम** - कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर मुद्दे उठाए गए थे। इस व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। इस व्यवस्था का उल्लेख संविधान में नहीं है।
- 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था की जगह एक 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
- **मुख्य प्रश्न यह उठता है कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय RTI के अधीन आता है या नहीं?**
- **सुप्रीम कोर्ट का तर्क**- जनहित याचिका द्वारा RTI से जजों की संपत्ति संबंधित अन्य जानकारियां मांगी जाएगी जिससे न्यायाधीशों की गोपनीयता प्रभावित होगी।
- RTI अधिनियम में गोपनीयता व व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को रोकने हेतु प्रावधान है। जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक अधिकारी की सिर्फ ऐसी सूचनाएं प्रदान की जाएंगी, जो लोक महत्व की हो न की निजी जानकारियों को, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का गोपनीयता का तर्क निराधार प्रतीत होता है।
- वर्तमान में 5 जजों की बेंच गठित की गई है, जो RTI के संबंध में विचाराधीन हैं।
- हालांकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां व स्थानांतरण अपारदर्शी प्रक्रिया है।
- कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायिक नियुक्तियां अक्सर मनमाने व अस्पष्ट तरीके से की जाती हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण, जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने यह स्वीकार किया कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में व्यक्तिगत कारणों से नहीं चुना गया था। इस संबंध में यह सवाल उठे कि किसी की व्यक्तिगत स्थिति उसकी न्यायिक कार्यों के निर्वहन क्षमता को कैसे प्रभावित करेगी।
- इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉलेजियम-प्रणाली में पारदर्शिता के लिए प्रयास किए गए।
- लोकतंत्र में न्यायपालिका को गोपनीयता की अपेक्षा सार्वजनिक पारदर्शिता के मूल्य को अपनाना चाहिए।
- 2015 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' की स्थापना हेतु संविधान संशोधन किया गया था। इस आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अंसंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
- इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ प्रक्रियागत खामियां हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।
- न्यायाधीशों के कदाचार के मामलों में तथा न्यायिक जबाबदेही के लिए न्यायपालिका में पारदर्शी प्रणाली का होना आवश्यक है। इसका एक मात्र तरीका न्यायालय को सार्वजनिक जांच तथा आरटीआई के दायरे में लाना है।
- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय न्यायपालिका में जबाबदेही और पारदर्शिता को समझने के लिए प्रेरित करता है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 1952 में न्यायमूर्ति जी.एस. राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रेस आयोग ने सरकारी गोपनीयता कानून को समाप्त करने की सिफारिश थी।
2. 1975 में भारत सरकार द्वारा सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 में संशोधन किया गया था।
3. विधायिका और न्यायपालिका को गोपनीयता के बंधन से मुक्त कर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 तथा नागरिकों को प्राप्त सूचना का अधिकार कानून-2005 की चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा RTI के संदर्भ में दिए गए निर्देशों की समीक्षा कीजिए-